

कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी :- 1- श्री श्याम सुन्दर तिवारी पुत्र श्री सीताराम तिवारी , 127/465 ,बारा देवी ,
कानपुर ,2- श्री विवेक कुमार शुक्ला पुत्र श्री मुन्नी लाल शुक्ला , 284 शिव
कटरा ,कानपुर ।
प्रा0प0सं0- 151 / 2008
प्रार्थी की ओर से- श्री श्याम सुन्दर तिवारी ,प्रार्थी ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- श्री श्याम सुन्दर तिवारी पुत्र श्री सीताराम तिवारी , 127/465 ,बारा देवी ,कानपुर एवं विवेक कुमार शुक्ला पुत्र श्री मुन्नी लाल शुक्ला , 284 शिव कटरा ,कानपुर द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18-3-2008 को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कपड़े के छोटे-छोटे टुकड़े जिन पर सिलाई आदि नहीं होती है अर्थात कपड़ा चिन्दी पर करदेयता की जानकारी चाही गयी है।

2- एडीशनल कमिश्नर (ग्रेड-1)वाणिज्य कर, कानपुर जोन कानपुर से प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि वैट अधिनियम 2008 के अन्तर्गत समस्त प्रकार का हैण्डलूम कपड़ा करमुक्त की श्रेणी में आता है । कपड़ा चिन्दी कपड़े के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं और मूल रूप में यह कपड़ा ही है।

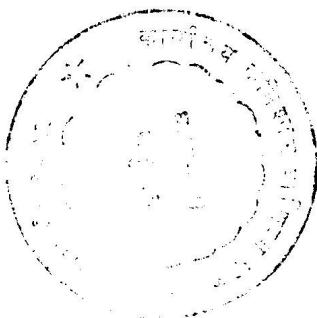
3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री श्याम सुन्दर तिवारी ,प्रार्थी उपस्थित हुये और उनके द्वारा धारा-59 अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया और कहा कि कपड़े के छोटे-छोटे अलग-अलग साइज व आकार के टुकड़े पर किसी प्रकार की सिलाई नहीं होती है,वास्तव में टैक्सटाइल है और इनका उपयोग टैक्सटाइल की भांति होता है।उनके द्वारा सर्वश्री मधु मैटोर प्रा0लि0,मधुपुरम ,ग्राम हीरपुर अटारिया ,सीतापुर के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत दिया गया निर्णय दिनांक 22-8-1990 (एस0टी0आई01991 यू/एस 35 यू0पी0एस0टी0)पेज-29 का सन्दर्भ लेते हुये कहा गया कि उक्त निर्णय में चिन्दी कोड टैक्सटाइल . मानते हुये करमुक्त किया गया है।

4- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 से प्राप्त आख्या तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। कपड़े चिन्दी वास्तव में कपड़े के छोटे-छोटे अलग-अलग साइज व आकार के टुकड़े हैं, जो कटिंग के फलस्वरूप निकलते हैं और उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 के अन्तर्गत टैक्सटाइल पर कोई करदेयता नहीं है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 3, जून,2008



ह0 3.6.08
(दीपक कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।